

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान / INSTITUTE FOR PLASMA RESEARCH

भाट, गांधीनगर, 382 428 / BHAT, GANDHINAGAR-382 428

**Advertisement for Appointment of Authorised Medical Officer –IPR on Contract Basis
अनुबंध के आधार पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी-आईपीआर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन**

विज्ञापन सं 2 सीएचएसएस/2023

Advt. No. 2 CHSS/2023

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के तहत एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। आईपीआर, गांधीनगर जिले के भाट गांव में स्थित है और इटर-भारत, गांधीनगर और एफसीआईपीटी GIDC, सेक्टर - 25, गांधीनगर में इसके कार्यालयों/प्रयोगशालाओं का विस्तार है। आईपीआर में एक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) है और इसके दरों की एक अनुसूची है जिसका नाम CHSS-SOR है, जो अपने CHSS लाभार्थियों की चिकित्सा सहायता के लिए है। आईपीआर एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर आईपीआर (AMO-आईपीआर) में एक प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करना चाहता है।

The Institute for Plasma Research (IPR) is a premier scientific institute under the Department of Atomic Energy, Govt. of India. IPR is located in Bhat Village at Gandhinagar District and also has extension of its Offices/Laboratories at ITER-IN Gandhinagar and FCIPT GIDC, Sector – 25, Gandhinagar. IPR has a Contributory Health Service Scheme (CHSS) and its Schedule of rates called the CHSS –SoR for medical assistance to its CHSS beneficiaries. IPR desires to appoint one Authorised Medical Officer at IPR (AMO-IPR) on **Contract basis for a Fixed Term**.

आईपीआर में लगभग 650 कर्मचारी और परियोजना के आधार पर लगभग 200 कर्मचारी नियुक्त हैं। आईपीआर में आश्रित लाभार्थियों सहित कुल लगभग 2800 CHSS लाभार्थी हैं।

IPR has total employee strength of around 650 employees and around 200 persons on project appointment basis. IPR has a total of around 2800 CHSS beneficiaries including the dependant beneficiaries.

1. कार्य विवरण और कार्य समय / Job Description & Work Timings:

आईपीआर के CHSS लाभार्थियों को जब भी आवश्यक हो, परामर्श सेवाएं प्रदान करना और दवाएं लिखना, अन्य चिकित्सकों / विशेषज्ञों / अस्पतालों / प्रयोगशालाओं का संदर्भ देना आदि। सप्ताह के दौरान और आपात स्थिति में कार्यालय समय के बाद टेलीफोनिक परामर्श/सलाह प्रदान करना। चिकित्सा की दृष्टि से CHSS, SOR के अनुसार चिकित्सा बिलों/दावों की जांच और अनुमोदन करना। किसी भी चिकित्सा संबंधी मुद्दों/कार्यों पर संस्थान को मार्गदर्शन और सलाह देना।

Provide consultancy services to IPR CHSS Beneficiaries and prescribe medicines, refer to other medical doctors / specialists / Hospitals / laboratories etc. as required. Provide telephonic consultancy/advice during week off days and after office hours in case of emergency. Check and approve medical bills/claims as per CHSS SoR from medical point of view. Provide guidance and advise the Institute on any medical related issues/works.

आईपीआर-AMO को सप्ताह में 6 दिन की सेवा देनी होगी। सोमवार से शुक्रवार तक का समय सुबह 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा जिसमें दोपहर के भोजन और चाय के लिए कुल 01 घंटे का विराम शामिल होगा। शनिवार के दिन सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक का समय होगा। प्रत्येक मंगलवार, आईपीआर-AMO को परामर्श के लिए एफसीआईपीटी का दौरा करना होगा, जिसका समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा। इस कार्य के लिए, आईपीआर-AMO, आईपीआर वाहन शटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

आईपीआर प्रशासन, संस्थान की आवश्यकता के आधार पर समय सारणी को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

IPR-AMO will be required to serve 6 days a week. The timings from Monday to Friday will be from 9.00 am to 4.00 pm which will include a total of 01 hour break for lunch and tea. On Saturday the timings will be from 10.00 am to 01.00 pm. Every Tuesday, IPR-AMO will be required to visit FCIPT for consultation, starting from IPR at 12:00 noon and returning by 4.00 pm. For this commutation, IPR –AMO may utilise the IPR vehicle shuttle services. IPR Administration reserves the right to change the time schedule based on the need of the Institute.

सप्ताहिक अवकाश के दिनों, छुट्टियों या विषम घंटों की आपातकाल स्थिति में, AMO-आईपीआर CHSS लाभार्थियों को टेलीफोन पर सहायता प्रदान करेंगे।

In case of emergency on week off days, holidays or odd hours, the AMO-IPR will provide telephonic assistance to the CHSS beneficiaries.

2. योग्यता और अनुभव/ Qualifications and Experience:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और मेडिकल काउंसिल के साथ एक वैध पंजीकरण। उम्मीदवार के पास वेलीड मेडिकल प्रैक्टिस प्रमाण पत्र होना चाहिए।

MBBS from recognized University and a valid registration with Medical Council. Candidate should have a valid medical practice certificate.

उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल/क्लिनिक में न्यूनतम 02 वर्ष के कार्य/प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार को इसके लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। CGHS/CHSS/केंद्र सरकार के मेडिकल अटेंडंस नियमों का ज्ञान विशेष माना जाएगा।

The candidate should have a minimum experience of 02 years of practice at a recognised hospital/clinic. The candidate should provide a certificate for the same. Knowledge of CGHS/CHSS/Medical Attendance Rules of Central Government would be an advantage.

3. आयु / Age:

AMO-आईपीआर के लिए अपेक्षित अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, हालांकि उच्च आयु वाले स्वस्थ उम्मीदवार, जो आईपीआर कर्मचारियों को संतोषजनक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और ऊपर उल्लिखित सभी कार्य कर सकते हैं, को भी उपर्युक्त पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, यदि वे सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं।

The preferred maximum age limit is 55 years for the AMO-IPR, however candidates with higher age, enjoying sound health and who can render satisfactory medical services to IPR employees and do all the work as mentioned above may also be considered for the post, if they provide a Medical Fitness Certificate from Civil Surgeon of a Government Hospital.

4. अनुबंध की अवधि: Tenure of Contract:

AMO -आईपीआर के अनुबंध का कार्यकाल प्रारंभ में 02 (दो) वर्ष के लिए होगा और यदि प्रदर्शन उपयुक्त पाया जाता है तो संस्थान की आवश्यकता के अनुसार अनुबंध को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। संस्थान के पास एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जबकि यदि AMO-आईपीआर कार्यमुक्त होना चाहता है तो उसे संस्थान को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देना होगा।

The tenure of contract of the AMO-IPR will be initially for 02 (two) years and if the performance is found to be suitable the contract can be extended for further period as per the requirement of the institute. The institute reserves the right to terminate the contract by giving one month's notice while if the AMO-IPR wishes to be relieved he will have to give three months' notice in writing to the institute.

AMO-आईपीआर किसी भी प्रकार के कदाचार, नैतिक अधमता या डॉक्टर के लिए अशोभनीय हो ऐसे किसी अन्य अपराध के दोषी पाए जाने की स्थिति में, आईपीआर द्वारा बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

In the event of the AMO-IPR found to be guilty of any type of mal-practice, moral turpitude or any other offence of unbecoming of a doctor, the contract services can be terminated by IPR without giving any notice.

5. परामर्श शुल्क/Consultation Charges:

AMO-आईपीआर निम्नानुसार परामर्श शुल्क का हकदार होंगे:

AMO-IPR will be entitled to consultation charges as detailed below:

- (a) पहले / नए परामर्श के लिए प्रति रोगी रु. 180 / - का परामर्श शुल्क देय है।
Consultation charge of `180/- per patient is payable for first/fresh consultation.
- (b) पहले/नए परामर्श के तीन दिनों के भीतर उसी बीमारी और उसी रोगी के पुनः परामर्श के लिए कोई परामर्श शुल्क देय नहीं होगा।
No consultation charge shall be payable for re-consultation for the same ailment and the same patient within three days of the first/fresh consultation.
- (c) हालांकि, पहले / नए परामर्श के तीन दिनों के भीतर अन्य बीमारी के लिए रु. 180/- के नए परामर्श शुल्क का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते बिल में निदान / उपचार का स्पष्ट उल्लेख हो। However, fresh consultation charge of `180/- may be paid for different ailment within three days of the first/fresh consultation provided there is a clear mention of the diagnosis/treatment in the bill.
- (d) पिछले परामर्श की तारीख से तीन दिनों के अंतराल के बाद उसी बीमारी के संबंध में अनुवर्ती परामर्श के लिए प्रति रोगी रु. 120/- देय है।
`120/- per patient is payable for every subsequent follow-up consultation in respect of the same ailment with a gap of three days from the date of every immediate previous consultation.
- (e) जब कभी एक से अधिक रेफरल जारी किए जाते हैं, तो केवल एक अनुवर्ती परामर्श शुल्क यानी रु. 120/- देय होगा।
Whenever multiple referrals are issued, only one follow-up consultation charge i.e. `120/- will be payable.
- (f) अन्य शुल्क जैसे ट्रेसिंग, सीवरिंग, इंजेक्शन आदि, दरों की अनुसूची (एसओआर) में निर्धारित दरों के अनुसार होंगे।

The other charges like dressing, suturing, injection etc., will be as per the rates prescribed in the Schedule of Rates (SoR).

उल्लिखित परामर्श शुल्कों के साथ, AMO-आईपीआर कार्य विवरण में वर्णित सभी बिलों की जांच और पारित करने के लिए प्रति माह रुपये 10,000/- की एकमुश्त राशि भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

Along with the mentioned consultation charges, AMO-IPR will also be entitled to get a lump sum amount of Rs. 10,000/- per month for checking and passing of all the bills as described in the job description.

6. चयन विधि/Selection Method:

यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, तो एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रथम दस उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

If the number of eligible candidates is more, the top ten candidates based on the percentage of marks obtained in the Final Year MBBS, will be shortlisted for a personal interview.

उम्मीदवार का अंतिम चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

The final selection of the candidate shall be on the basis of their performance in personal interview.

7. आवेदन कैसे करें/How to Apply:

उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक और पात्र चिकित्सक, संलग्न प्रारूप में अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से सभी योग्यता, संपर्क विवरण और अनुभव का उल्लेख करते हुए प्रमाणपत्रों आदि की सत्यापित प्रतियों और पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ दिनांक 20, नवंबर 2023 तक उपर्युक्त पते पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को अपना आवेदन भेज सकते हैं। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या और प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी - आईपीआर के पद के लिए आवेदन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

Interested and eligible Doctors fulfilling the above criteria may send their applications in the enclosed format clearly mentioning all qualifications, contact details, and experience along with attested copies of testimonials and passport size photographs, etc. so as to reach The Chief Administrative Officer, Institute for Plasma Research at the above address by 20, November 2023. The envelope should be strictly super scribed with Advt. No. and Application for Post of Authorised Medical Officer -IPR.

डाक के कारण आवेदन को हुए किसी भी नुकसान या जमा करने में देरी के लिए आईपीआर जिम्मेदार नहीं होगा।

IPR will not be responsible for any loss of application or late submission due to postal delay.

सरकार एक कार्यबल बनाने का प्रयास कर रही है जो लिंग संतुलन को दर्शाता है, इसलिए महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी भी रूप में कैनवासिंग करने पर उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा। किसी भी अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

Government strives to have a workforce which reflects gender balance, hence women candidates are encouraged to apply. Canvassing in any form will be a disqualification. No Interim correspondence will be entertained.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / Chief Administrative Officer